अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश,

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल—462004

क्रमांक/4/शैक्ष./2011/2542.   भोपाल, दिनांक : 13.09.2011

अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत के बंधन के सम्बंध में सूचना
सत्र 2011—12

सत्र 2011—2012 में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में काउंसलिं के माध्यम से प्रवेश हेतु उनके संबाधित पाठ्यक्रम में अर्हकारी परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत में 0.5 प्रतिशत अथवा उससे कम अंश की कमी के कारण पात्र नहीं हो पा रहे थे । विभिन्न प्रकरणों में माननीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के परिपेक्ष्य में उक्त अंश को अर्हकारी परीक्षा के न्यनूतम निर्धारित प्रतिशत को राउंडअप करने के लिये मान्य किया जाता है ।

उदाहणार्थ किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित न्यूनतम 50 प्रतिशत के स्थान पर 49.5 या उससे अधिक होने पर राउंडअप मानते हुये पात्र माना जाकर अभ्यर्थी आगामी काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं ।

अध्यक्ष—काउंसलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश